संख्या-10/ 2020 / 83 /क0नि0प्र0/26-3-2020-18(109)/2018

प्रेषक

डा. रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग **लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी,2020**
कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. टू एस.सी. एस.पी.) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के दिशा निर्देशों के अनुसार गैप फिलिंग एक्टीविटीज के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक संख्या-2410/मू0अनु0/पी0एम0ए0जी0वाई0/2019-20 दिनांक 21-10-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु राज्य जिला एवं गांव स्तर पर प्रशासनिक और अन्य व्यय आदि हेतु रू0 5,32,00,000/-(रू0 पांच करोड़ बत्तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की **श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

(1) **उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।**

(2) **प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। उक्त अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें। इस आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) हेतु निर्धारित मानक/व्यवस्थाओं के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

(4) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय-विवरण निगम मुख्यालय पर अन्य योजनाओं से पृथक रखा जायेगा। प्रश्नगत योजनान्तर्गत निगम द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया में खोले गये बचत खाते का सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (के.100/रा.0-के.)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ0संख्या-10/2020/ 83 (1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in